**Annexure - XXXV**

संख्या–161 / सू0 / xxxi(13)G / 2006

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

**सामान्य प्रशासन विभागः** **देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2006**

**विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण व वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुबन्धों के अधीन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति पर्यवेक्षण व वार्षिक रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा–25 की उपधारा (2) में निम्न प्राविधान किया गया है–

Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of the that information and keeping of records for the purposes of this section.

इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यान्वयन प्रगति विवरण आयोग को प्रेषित किये जाने का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी लोक प्राधिकारियों से 31 मार्च, 2006 तक का प्रगति विवरण उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुरूप अप्रैल प्रथम सप्ताह तक राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस विवरण की एक संकलित प्रति समन्वय व अनुश्रवण की दृष्टि से सामान्य प्रशासन विभाग को भी पृष्ठांकन करने की कृपा करें।

**संलग्नकः–यथोपरि।**

भवदीय

**(राजीव गुप्ता)**
**प्रमुख सचिव**